रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2005/आश्विन 8, 1927
No. 263] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2005/ASVINA 8, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

अंतिम निष्कर्ष

विषय : हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिस्ट्रीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/8/2004-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 क (5) और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि एवं प्रक्रिया

समीक्षा जांच की पृष्ठभूमि और समीक्षा जांच में निर्धारित प्रक्रिया का नीचे वर्णन किया गया है ।

क.1 निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधित) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार हांगकांग, सिंगापुर और

थाईलैंड (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलिस्ट्रीन (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बारे में दिनांक 8 मार्च, 2000 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 33/1/98 - डी जी ए डी में यथा इंगित पॉलिस्ट्रीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगाए रखने की आवश्यकता की निर्णायक समीक्षा की थी । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 28 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 33/1/98-डी जी ए डी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 14 अक्तूबर, 1999 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 116/99 सीमाशुल्क द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने 8 मार्च, 2000 को सं0 33/1/98-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणाम निकाला और दिनांक 11 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं0 42/2000-सीमाशुल्क जो कि दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 158/2000 सीमाशुल्क द्वारा संशोधित की गयी थी, द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । इस शुल्क को 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं0 10/2005 की अधिसूचना द्वारा 12 अक्तूबर, 2005 तक आगे और बढ़ाया गया था ।

क.2 प्राधिकारी ने 12 अक्तूबर, 2004 को एक जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना सं0 14/8/2004-डी जी ए डी जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की कार्रवाई आरंभ की गई थी।

क.3 प्राधिकारी ने नियम 6 (2) के अनुसार उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभी ज्ञात निर्यातकों, (जिनके ब्यौरे पूर्ववर्ती जांच को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराए गए थे), उद्योग/प्रयोक्ता संघों को भेजी और उन्हें लिखित रूप में अपने विचार पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी थी ।

क.4 प्राधिकारी ने नियम 6(2) के अनुसार उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध माल के सभी आयातकों (जिनके ब्यौरे पूर्ववर्ती जांच को दृष्टिगत रखते उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी गयी थी और

उन्हें पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी थी ।

क.5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत करे ।

क.6 प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति प्रदान की ।

क.7 प्राधिकरी ने नियम 6(4) के अनुसार सूचना मंगाने के लिए निर्यातकों/उत्पादकों को एक प्रश्नावली भेजी ।

क.8 किसी भी ज्ञात निर्यातक/उत्पादक अथवा अन्य निर्यात्तक/उत्पादक ने समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर/सूचना नहीं दिया ।

क.9 नई दिल्ली में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरू करने के संबंध में सूचना दी गयी जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निधारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें । नियम 6(3) के तहत ज्ञात निर्यातकों को भेजे गए पत्रों, और प्रश्नावलियों की प्रतियाँ संबद्ध देशों के दूतावास को भी भेजी गयी थी ।

क.10. प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध माल के उन ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ता संघों को भेजी गयी थी जिनके ब्यौरे नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचनार्थ याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे ।

क.11. किसी भी आयातक द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

क.12. घरेलू उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व मै. पॉलीस्टिरीन एसोसिएशन द्वारा किया गया है जिसमें संबद्ध वस्तु के दो उत्पादक अर्थात् मै. एल जी पॉलीमर्स प्रा. लि. और मै. सुप्रीम पेट्रोकैमिकल्स शामिल हैं से क्षति संबंधी सूचना माँगी गई थी । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन लागत/क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की गई थी जिसका प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किया गया था ।

क.13. सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने में आने वाली लागत ज्ञात करने के लिए घरेलू उद्योग की लागत संबंधी जांच भी की गई थी ।

क.14. सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 16 अगस्त, 2005 को मौखिक रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था । विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में देने का अनुरोध किया गया था । पक्षकारों से प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियाँ प्राप्त करने और उनका खंडन करने, यदि कोई हों, के लिए कहा गया था ।

क.15. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी द्वारा बनाई गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और नियम 6(7) के अनुसार इसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

क.16. इस अधिसूचना में *** चिह्न हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत कराई गई सूचना को प्रदर्शित करता है और इसे नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय ही माना गया है ।

क.17. जांच अवधि (पीओआई) 1.04.2003 से 31.03.2004 तक की थी ।

ख. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

ख.1 वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पॉलीस्टरीन है । पॉलीस्टरीन एक बहु- उपयोगी थर्मोप्लास्टिक रेजिन है जो सामान्य प्रयोग के क्रिस्टल और इम्पैक्ट ग्रेडों से उच्च विशिष्टीकृत रेजिन तक व्यापक प्रकार की विनिर्मितियों के रूप में उपलब्ध है । पोलीस्टरीन विभिन्न रूपों का हो सकता है । तथापि, क्रिस्टल पोलीस्टरीन को जनरल परपज पोलीस्टरीन (जीपीपीएस) और इम्पैक्ट पोलीस्टरीन को हाई इम्पैक्ट पोलीस्टरीन (एचआईपीएस) के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है और ये दोनों वर्तमान जांच की विषय वस्तु हैं । जीपीपीएस एक स्पष्ट, अक्रिस्टलीय पॉलीमर है और इसका उपयोग खाद्य पैकेजिंग, खाद्य सेवा मदों, चिकित्सा उत्पादों और ऑडियो कैसेटों, कॉम्पैक्ट डिस्कों की पैकेजिंग और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया जाता है । एचआईपीएस में इम्पैक्ट आशोधनों के लिए पोलीब्यूटाडीन का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग खिलौनों, फर्नीचर, घरेलू वस्तुओं, खाद्य पैकेजिंग, खाद्य सेवा, चिकित्सा उत्पादों, उपकरणों, भवन सामग्री,

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पैकेजिंग में किया जाता है । जीपीपीएस और एचआईपीएस अलग-अलग प्रकार के पोलीस्टरीन हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं । सीमाशुल्क उपशीर्ष 39031100 के अंतर्गत वर्गीकृत एक्सपैन्सीवल पोलीस्टरीन (जिसे आम तौर पर ईपीएस के नाम से जाना जाता है) इस समीक्षा जांच के कार्यक्षेत्र से बाहर है । पॉलीस्टरीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची । के सीमाशुल्क उपशीर्ष 3903 और आईटीसी के 390319 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, यह वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई तर्क नहीं दिए गए हैं ।

ख.2. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पोलीस्टरीन और संबद्ध देशों से निर्यातित पोलीस्टरीन के बीच कोई अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पोलीस्टरीन और संबद्ध देश से आयातित वस्तु सभी संगत मानदण्डों जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोगों की दृष्टि से तुलनीय हैं । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं । समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

ख.3. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित पोलीस्टरीन विचाराधीन वस्तु के समान है और परिणामस्वरूप आयातित पोलीस्टरीन और घरेलू रूप से उत्पादित पोलीस्टरीन को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु के रूप में माना गया है ।

ग. जांच शुरूआत, समीक्षा, स्थिति तथा घरेलू उद्योग

ग.1. इस मामले में जांच शुरूआत तथा साथ ही साथ घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कोई दलील नहीं दी गई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पालीस्टीरीन उत्पादक एसोसिएशन, मुम्बई ने संबद्ध वस्तु के सभी प्रमुख उत्पादकों को अपने सदस्य बना लिया है तथा इसीलिए प्राधिकारी मानते हैं कि मै. पालीस्टीरीन उत्पादक एसोसिएशन, मुम्बई देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी होने के कारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

घ. उत्तरवर्ती घटनाक्रम

पालीस्टरीन उत्पादक एसोसिएशन (भारत) द्वारा 27 सितम्बर, 2005 को किए गए अनुरोध

घ.1. हाल के महीनों में पेट्रोलियम की कीमतों ने उच्च रिकार्ड बनाया है तथा यह 70 अम. डा. प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं । चूंकि पेट्रोलियम आधारित उत्पाद उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा हैं इसीलिए इनसे घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है तथा यह प्रभाव जारी रहेगा । इसके अतिरिक्त, यह भारत में तथा अन्य देशों में स्थापित कानून है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के

प्रयोजनार्थ जांचाधीन अवधि (पीओआई) के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा । तेल की कीमतों में अचानक तथा तीव्र उछाल से लाभ लेते हुए संबद्ध देशों में से एक देश से पाटन और बढ़ गया है जो भारत को निर्यातित इसकी मात्रा में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ ।

घ.2. घरेलू उद्योग को आशंका है कि संबद्ध देश से मात्रा में वृद्धि तथा उनके कच्चे माल की लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण निर्णायक जांच अवधि (अर्थात 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004, जब तेल की कीमतें 35 अम. डा. प्रति बैरल थी) संबंधी आंकड़ों के आधार पर लगाया गया कोई शुल्क घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति की पर्याप्त भरपाई नहीं करता जबकि कीमतें 70 अम. डा. प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं ।

घ.3. इसके अतिरिक्त, मामले के तथ्यात्मक स्वरूप के भीतर पाटनरोधी शुल्क के अभाव में क्षति की आवृत्ति की अधिक संभावना है क्योंकि एक बार शुल्क के हट जाने पर निर्यातक उनकी मात्रा में तीव्र वृद्धि करेंगे । यह प्रवृत्ति कोरिया गणराज्य से आयातित पालीस्टीरीन के मामले में पहले ही स्थापित हो गई है । यह अभिलेख में दर्ज है कि दिनांक 24 मई, 2004 के पत्र के द्वारा हमारे मुवक्किल ने कोरिया, चीनी ताइपेई, जापान तथा मलेशिया के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पालीस्टीरीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु दिया गया अपना आवेदन स्वेच्छा से वापस ले लिया था जिसके पश्चात कोरिया से मात्रा में वृद्धि हुई ।

घ.4. इस स्थिति के कारण एसोसिएशन हांगकांग, सिंगापुर तथा थाइलैंड से आयातित पालीस्टीरीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु दिया गया आवेदन वापस लेता है ।

ड. निष्कर्ष

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर जिनमें पालीस्टीरीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की समीक्षा करने हेतु दिए गए आवेदन को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है तथा इसीलिए प्राधिकारी, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2004 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 33/1/98- डीजीएडी में सिफारिश किए गए तथा केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. 42/2000, जिसे दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 158/2000- सीमाशुल्क द्वारा संशोधित किया गया था एवं दिनांक 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. 10/2005- सीमाशुल्क द्वारा बढ़ाया गया था, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पालीस्टीरीन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करते हैं ।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2005

Final Findings

Sub : Anti-Dumping investigations concerning Sunset Review of anti-dumping duty on imports of polystyrene originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Thailand.

No. 14/8/2004-DGAD.—Having regard to the Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A BACKGROUND & PROCEDURE

The Background of the review investigations and procedure described in the review investigations are described below.

A.1 The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules as per Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 initiated Sunset Review to review the need for continued imposition of anti-dumping duty on imports of Polystyrene as indicated in the final findings notification No. 33/1/98-DGAD dated 8th March 2000 with regards to anti-dumping duty imposed on imports of Polystyrene ((hereinafter also referred to as subject goods) originating in or exported from Hong Kong, Singapore and Thailand.((hereinafter also referred to as subject countries). The preliminary findings were published vide Notification No. 33/1/98-DGAD dated 28th September 1999 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 116/99-Customs dated 14th October 1999. The Designated Authority came out with final findings on 8th March 2000 vide No. 33/1/98-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 42/2000-Customs dated 11th April 2000 which was amended by Customs notification no 158/2000-Customs dated 27th December 2000. The duty was further extended by notification No.10/2005-Customs dated 16th February 2005 till 12th October 2005.

A.2 The Authority issued a initiation notification 14/8/2004-DGAD dated 12th October 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations in respect of the above mentioned investigation concerning imports of the subject goods classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 originating in or exported from subject countries.

A.3 The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were available in view of investigations conducted earlier) and industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2).

A.4 The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers ((whose details were available in view of investigations conducted earlier) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

A.5 Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

A.6 The Authority provided a copy of the initiation notification to the known exporter and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra.

A.7 The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4):

A.8 No Response/information to the questionnaire was filed by any of known exporters/producers or other exporters/producers within the time limit:

A.9 The Embassy of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise all concerned exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the known exporter was also sent to the Embassy of the subject countries under rule 6(3).

A.10 A questionnaire was sent to the known importers/user associations of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6(4):-

A.11 No Response/information to the questionnaire was filed by the any of the importers.

A.12 Information regarding injury was sought from domestic industries represented by M/s Polystyrene Association of India representing two producers of the subject goods i.e./s LG Polymers Pvt. Ltd and M/s Supreme Petrochemicals. The cost of production/injury information was furnished by the domestic industry which was analyzed by the Authority.

A.13 Cost investigation of domestic industries was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the petitioner.

A.14 An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally on 16th August 2005. All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;

A.15 The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

A.16 *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

A.17 The period of investigation (POI) considered is from 1.04.03 to 31.03.04.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 The product considered in the present investigations is polystyrene. Polystyrene is a versatile thermoplastic resin available in wide range of formulations from general-purpose crystal and impact grades to highly specialized resins. Polystyrene can be of various forms. However, crystal polystyrene popularly known as General Purpose Polystyrene (GPPS) and impact polystyrene popularly known as High Impact Polystyrene (HIPS) are the subject matter of the present investigation. GPPS is a clear, amorphous polymer and finds application in food packaging, food service items, medical care products, and packaging for audio cassettes, compact discs, and other consumer electronic media. HIPS makes use of polybutadiene elastomers for impact modifications and finds applications in toys, furniture, house wares, food packaging, food service, medical care products, appliances, building materials, consumer electronics, and packaging for electronic media. GPPS and HIPS are different types of

polystyrenes and are not substituted with each other. Expansible Polystyrene (popularly known as EPS) classified under custom sub heading 39031100 is beyond the scope of this review investigation. Polystyrene is classified under custom sub-heading 39 03 of Schedule1 of the Customs Tariff Act, 1975 and under 39 03 19 of the ITC. The description is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigations. The Authority notes that there are no arguments with regards to the product under consideration by any of the interested parties.

B.2 There is no difference in the Polystyrene produced by the Indian industry and Polystyrene exported from the subject countries. Polystyrene produced by the Indian industry and imported from the subject country is comparable on all relevant parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses. The two are technically and commercially substitutable and consumers have used the two interchangeably. There are no arguments advanced by any of interested parties with regards to the issue of like article.

B.3 In light of the above, the Authority holds that the Polystyrene produced by the Petitioner is identical to the article under consideration in the present Petition and consequently both the imported Polystyrene and domestically produced Polystyrene are considered as "like article" to the subject goods being imported from the subject countries in accordance with the Anti Dumping Rules.

C. INITIATION, REVIEW, STANDING AND DOMESTIC INDUSTRY

C.1 There are no arguments with regards to the initiation as well as the standing of the domestic industry in this case. The Authority notes that M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai has got all the major producers of the subject goods as its members and therefore, the Authority holds that M/s. Polystyrene Producers' Association, Mumbai, constitutes domestic industry within the meaning of the rule 2(b) of the Anti Dumping rules having accounted for a major proportion of the production of the subject goods in the country.

D. Subsequent Developments

Submission made by Polystyrene Producers Association (India) on September 27, 2005.

D.1 In the recent months, petroleum prices have hit record highs and it is approaching US$ 70 per barrel. Given that petroleum based products form a large part of the production cost, this has and will continue to severely impact operations of the domestic industry. Further, it is settled law both in India and other countries that the data of the period of investigation (POI) is to be considered for the purposes of levying

antidumping duty. Taking advantage of the sudden and steep hike in oil prices, the dumping from one of the subject countries further intensified, which manifested itself in a growth in its volume exported to India.

D.2 The domestic industry apprehends that given the surge in volume from the subject country and the drastic increase in the costs of their raw materials any duty levied on the basis of the Sunset Period of Investigation data (i.e. 1st April 2003 to 31st March 2004 when oil prices were around US 35/- per barrel) will not adequately address the material injury to the domestic industry when prices are approaching US$ 70/- per barrel.

D.3 Further, within the factual matrix of this case, the recurrence of injury in the absence of antidumping duties is more than likely, as the exporters will sharply increase their volumes once the duty is lifted. This trend has already been established on Polystyrene imported from Republic of Korea. It is on record that vide letter dated 24th May, 2004, our clients voluntarily withdrew their application for imposition of antidumping duties originating in or exported from Korea, Chinese Taipei, Japan and Malaysia, subsequent to which volumes from Korea surged.

D.4 Given this situation, the Association withdraws the application for imposition of antidumping duty on Polystyrene imported from Hong Kong, Singapore and Thailand.

E. CONCLUSIONS

E.1 On the basis of the submissions made by the domestic industry requesting withdrawal of the application for review of imposition of Anti dumping duty on Polystyrene , the Authority concludes that there is no justification for the continued imposition of the anti dumping duty and therefore the Authority recommends discontinuance of anti dumping duty on polystyrene originating in or exported from subject countries as recommended by the Designated Authority vide Final Findings notification dated 8th March 2000 vide No. 33/1/98-DGAD and imposed by the Central Government vide notification No. 42/2000-Customs dated 11th April 2000 which was amended by Customs notification no 158/2000-Customs dated 27th December 2000 and extended by notification No.10/2005-Customs dated 16th February 2005.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.